न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर

पुरनदेई बनाम कुँवरसिंह

मु.नं. 43/24 (2024/127) प्रा.पत्र 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म कं में जा
31-10-25	आज यह पत्रावली पेश हुई। बमुराद पक्षकारान उप.। हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भलीभाँति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि आराजीयात के संबंध में पक्षकारान के हकों का निर्धारण प्रकरण से संबंधित दावे में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात तथा गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा। चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान हैं। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढ़े। तब तक अन्य खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझते है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.05.2024 भी निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 31-10-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा सलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०	